



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 13-10-2025

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अवैध छुरा, एक अवैध चाकू व दिल्ली से चोरी की हुई स्कूटी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अवैध छुरा, एक अवैध चाकू व दिल्ली से चोरी की हुई स्कूटी बरामद हुई है ।



उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 356/25 धारा 313/317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है, अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि बरामद स्कूटी को दिल्ली से चोरी किया गया था । उक्त स्कूटी के सम्बन्ध में जिपनेट पर चैक किया गया तो बरामद स्कूटी होण्डा एक्टवा नम्बर DL14 SA 8197 के सम्बन्ध में थाना क्राइम ब्रान्च दिल्ली म मु0अ0सं0 028059/25 क्राइम ब्रान्च दिल्ली दिनांक

11.10.2025 को पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया दिनांक 07.10.2025 की रात में पैरिफेरल से दो पेन्ट के डिब्बे चोरी किये जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर दिनांक 08.10.2025 को मु0अ0सं0 350/25 धारा 303(2) बीएनएस अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-चिन्टु पुत्र जगवीर सिंह निवासी मेवला भट्टी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 2-अमन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बडागाँव थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-आशीष पुत्र संजय निवासी ग्राम बडागाँव थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर। (अभियुक्त चिन्टु से)
- एक अवैध छुरा। (अभियुक्त अमन से)
- एक अवैध चाकू। (अभियुक्त आशीष से)
- चोरी की हुई स्कूटी होण्डा एक्टिवा नम्बर DL14 SA 8197 (मु0अ0सं0 028059/25 क्राईम ब्रान्च दिल्ली से सम्बन्धित)

अभियुक्त चिन्टू का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 350/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकडा।
- 2-मु0अ0सं0 356/25 धारा 313/317(5) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधिनियम थाना खेकडा।
- 3-मु0अ0सं0 028059/25 क्राईम ब्रान्च दिल्ली (स्कूटी होण्डा एक्टिवा नम्बर DL14 SA 8197)

अभियुक्त अमन उर्फ विशाल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 370/22 धारा 120-B/147/148/149/201/302/307/504 भादवि थाना खेकडा।
- 2-मु0अ0सं0 374/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा।
- 3-मु0अ0सं0 350/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकडा।

4-मु0अ0सं0 356/25 धारा 313/317(5) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधिनियम
थाना खेकडा

5-मु0अ0सं0 028059/25 क्राईम ब्रान्च दिल्ली (स्कूटी होण्डा एक्टवा नम्बर
DL14 SA 8197)

अभियुक्त आशीश का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 370/22 धारा 120-B/147/148/149/201/302/307/504 भादवि
थाना खेकडा ।

2-मु0अ0सं0 350/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकडा ।

3-मु0अ0सं0 356/25 धारा 313/317(5) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधिनियम
थाना खेकडा।

4-मु0अ0सं0 028059/25 क्राईम ब्रान्च दिल्ली (स्कूटी होण्डा एक्टवा नम्बर
DL14 SA 8197)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 रेशनलाल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-है0का0 71 हरगोविन्द थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4-का0 1022 अजय थाना खेकडा जनपद बागपत ।

5-है0का0 442 मौहम्मद आफाक थाना खेकडा जनपद बागपत ।

6-का0 1035 मनोज थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 13-10-2025

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ ट्रांसफार्मर का सामान, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त एक गाडी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके



कब्जे से चोरी किया हुआ ट्रांसफार्मर का सामान, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त एक गाडी बरामद बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 355/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है, अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- अभियुक्त चाँद मोहम्मद ने पूछताछ में बताया कि यह ट्रांसफार्मर का सामान उसन व उसक साथी 1. ताहिर राणा पुत्र इन्तजार निवासी सिवाल

खास थाना जानी जनपद मेरठ, 2. सुमित पुत्र रामअवतार निवासी मुजक्कीपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ, 3. अंकित पुत्र रामअवतार निवासी मुजक्कीपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ व 02-03 अज्ञात साथियों ने यह ट्रांसफार्मर का सामान करीब 15 से 16 दिन पहले निरोजपुर के जंगल से चोरी किया था। निरोजपुर के जंगल में ट्रांसफार्मर का सामान चोरी के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो उक्त सम्बन्ध में थाना एपीटी बागपत में मु0अ0सं0 1457/25 धारा 136 विद्युत अधिनियम पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

चाँद मोहम्मद पुत्र आसमोहम्मद निवासी ग्राम सोंदा थाना निवाडी जिला गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

- एक लोहे की ट्रांसफार्मर की बेस प्लेट।
- दो अदद ट्रांसफार्मर की फीस प्लेट।
- ट्रांसफार्मर वाइडिंग की कॉपर पत्ती
- इन्सुलेशन टैप चेंजर।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त वाहन रजि0नं 0 UP 14 NT 3534 मारुति सुजकी का गुड्स कैरियर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 913/16 धारा 60/72 आब0 अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

2-मु0अ0सं0 66/18 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।

3-मु0अ0सं0 404/17 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना बागपत जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 556/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 1457/25 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत।

6- मु0अ0सं0 355/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 संजय सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 सुजित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-का0 997 सोनू यादव थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 13-10-2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 250/2025 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साईकिल व 01 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.10.2025 को थाना छपरौली पर वादी श्री रविन्द्र पुत्र महीपाल निवासी ग्राम मलकपुर थाना कांधला जनपद शामली ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटर साईकिल स्पलेण्डर रजिस्ट्रेशन न. UP 12W 4037 व एक



मोबाइल फोन चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 250/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 250/2025 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन न. UP 12W 4037 व 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित उर्फ खत्री पुत्र अमरेश निवासी ग्राम ककौर कलां थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं०- UP12W4037।
- 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सतेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2- उ०नि० श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3- है०का० 757 प्रतीश कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4- का० 597 प्रेमपाल थाना छपरौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 13.10.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 बोरी/कट्टा अवैध निर्मित पटाखे बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 बोरी/कट्टा अवैध निर्मित पटाखे बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 259/2025 धारा 9(बी)1(बी) विस्फोटक अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सागर पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 बोरी/कट्टा अवैध निर्मित पटाखे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री आशोक कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 644 रामटाईगर थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 13.10.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 258/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अहसान पुत्र शौकत अली निवासी पट्टी रतराना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रान्शु राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2- है0का0 260 तेजवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
3. है0का0 791 ब्रजेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनांक 13.10.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 253/2025 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ ट्रैक्टर व ट्राली बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.10.2025 को थाना दोघट पर वादी श्री विपिन कुमार पुत्र स्व0 नरेन्द्रपाल निवासी ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके घर में खड़े ट्रैक्टर व ट्राली चोरी कर लिए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 253/2025 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 253/2025 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ ट्रैक्टर व ट्राली बरामद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रविन्द्र पुत्र ओमवीर निवासी बबैल रोड शिवनगर कालौनी पानीपत थाना किला जिला पानीपत (हरियाणा)।
- 2-सुमित पुत्र बबलू निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-विककी पुत्र शिवकुमार निवासी किशनपुर बिराल थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-विनीत पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम तेडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ ट्रैक्टर स्वराज 724 XM रंग लाल व सफेद।
- चोरी की हुई ट्राली खुली बॉडी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री तपेश्वर सागर प्रभारी स्वाट टीम बागपत
- 2.उ0नि0 रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत
- 2.उ0नि0 गौरव चौधरी स्वाट टीम जनपद बागपत
- 3.है0का0 दीपक कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत
- 4.है0का0 अमरजीत स्वाट टीम जनपद बागपत
- 5.है0का0 विशाल पूनिया स्वाट टीम जनपद बागपत
- 6.का0 मोनू स्वाट टीम जनपद बागपत
- 7.का0 नितिन त्यागी स्वाट टीम जनपद बागपत
- 8.उ0नि0 श्री पलटूराम थाना दोघट जनपद बागपत
- 9-है0का0 404 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

- 10-है०का० 589 मैनपाल थाना दोघट जनपद बागपत
11-है०का० 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत
12-है०का० 280 कपिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बड़ौत

दिनांक 13.10.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने 01 जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा० न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के



अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता-

अजय पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम खेडा इस्लामपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

जिलाबदर अभियुक्त अजय का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 29/2022 धारा 63 आबकारी अधि० थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. मु०अ०स० 798/2022 धारा 63 आबकारी अधि० थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. मु०अ०स० 1110/2019 धारा 63 आबकारी अधि० थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. मु०अ०स० 663/2025 धारा 3/10 गुण्डा नियंत्रण अधि० थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 437 बलजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 13.10.2025

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान 02 कुन्तल नकली मावा किया बरामद
। खाद्य विभाग द्वारा जांच में यह मानव उपभोग योग्य नहीं पाया गया, जिस
पर विधिक प्रक्रिया के तहत मावे को जमीन में दबाकर नष्ट किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.10.2025 को थाना रमाला पुलिस द्वारा चेंकिंग के दौरान एक गाडी कैन्टर नं० UP 19 AT 9921 चालक वीरेन्द्र पुत्र चतर सिंह निवासी डुंगर थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर को चेक किया गया तो गाडी में कपडे से बंधा हुआ लगभग 02 कुन्तल मावा बरामद हुआ । जिसकी सूचना नकली होने के शक पर खाद्य विभाग को दी गई तो सूचना पर श्री यज्ञदत्त आर्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसील बडौत जनपद बागपत द्वारा गाडी को लाकर थाने पर चेक किया गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नकली मावे में से परीक्षण कराये जाने हेतु सैम्पल लिये मावा खाने योग्य न पाये जाने पर करीब 02 कुन्तल नकली मावा को जमीन में दबवाकर नष्ट किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



मावा स्वाभियों का नाम व पता-

- 1-मोनू पुत्र महमूद निवासी ग्राम कुडाना थाना कांधला शामली ।
- 2-आस मौ० उर्फ आशु पुत्र नसीबू निवासी ग्राम भनेडा थाना कांधला जनपद शामली ।
- 3-मीरहसन पुत्र हकीमू निवासी ग्राम कुडाना थाना कांधला शामली ।

नकली मावा बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-व०उ०नि० श्री ओमपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 753 नीरज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-का० 1032 ब्रजेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक-13.10.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0- 348/25 धारा
191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/109(1)/351(3)/304(2) बीएनएस
से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-13.10.2025 को
वादी श्री प्रशान्त पुत्र
अमरदीप निवासी ग्राम
फतेहपुर थाना सिंघावली
अहीर जनपद बागपत ने
लिखित तहरीर दी कि
अभियुक्तों 1.विकास पुत्र
ब्रह्मसिंह, 2.सतीश पुत्र
रघुवीर, 3.संजय पुत्र
बलबीर, 4.अश्वनी पुत्र



पिंटू, 5.आरव पुत्र दीपक, 6.नीशू पुत्र संजय, 7.विकास उर्फ विक्की पुत्र कवंर
सिंह, 8.मनीष हीरा पुत्र राजेन्द्र सिंह, 9.अंकित पुत्र करतार सिंह व 10- एक
महिला निवासीगण ग्राम फतेहपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा
एक राय होकर हाथों में लाठी डण्डे व सरिया, फर्सा व तमंचो से लैस होकर वादी
के घर में घुसकर उसके साथ व उसके माता-पिता, चाचा के साथ गाली गलौच
कर मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से वार किये गये । जिससे
सभी को गम्भीर चोटें आयी हैं तथा जान से मारने की धमकी दी और वादी की
माता की सोने की चेन व वादी के 2500 रु0 छीन लिए । इस सम्बन्ध में प्राप्त
तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 348/25 धारा
191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/109(1)/351(3)/304(2) बीएनएस
पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 348/25 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/109(1)/351(3)/304(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-विकास पुत्र ब्रह्मसिंह निवासी ग्राम फतेहपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-आरव पुत्र दीपक कुमार निवासी ग्राम फतेहपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री शीलेन्द्र सिंह सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-उ०नि० श्री दलजीत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-उ०नि० धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-का० 131 परवेन्द्र कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 13.10.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सेन्सरपाल उर्फ जोरा पुत्र सूबे सिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत करीब उम्र 55 वर्ष
2. संजू पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 38 वर्ष
3. रोहित पुत्र सोहनपाल निवासी गौरखा वाली गली निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 31 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2-का0 72 प्रदीप कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3-का0 60 रवि कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 13.10.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरविन्द पुत्र शिवकुमार निवासी भगवानपुर नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पच्चे अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वाँई थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत
- 3-का0 607 कपिल देव थाना रमाला जनपद बागपत